सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 43 / 2018

रामस्वरुप पुत्र दुर्जन जाति मीना निवासी कुण्डल तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, सैंथल जिला दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.01.2018
व न्यायालय उप तहसीलदार, सैंथल

उपस्थित : 1.श्री प्रकाश मीना, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 20.08.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि ग्राम कुण्डल के आ0ख0न0 1048 रकबा 0.05 है0 किस्म जमीन सिवायचक पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गई। जिसके आधार पर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया और उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 10.01.2018 को ''गैर सायल उपस्थित। गैर सायल द्वारा अतिक्रमण हटा लेने के लिए समय चाहा गया।'' बाबत ऑर्डरशीट अंकित की गई। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को नोटिस दिया गया जिसकी पालना में अपीलांट दिनांक 10.01.2018 को न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल के यहॉं उपस्थित हुआ तथा उपस्थित होने की अगूँठा निशानी ऑर्डरशीट पर की गई है किंतु उप तहसीलदार सैंथल ने अपीलांट के पीछे से कब्जा हटाने का समय चाहा गया अंकित कर दिया गया। जबकि अपीलांट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया बल्कि जवाब के लिए समय चाहा गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.18 निरस्त फरमाया जावें व अपीलांट को विधिवत सुनवाई व सबूत का मौका देकर सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के तर्को का खंडन करते हुए बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट के पीछे से ऑर्डरशीट अंकित की गई है। अपीलांट के ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटा लेने का समय चाहने पर उनको समय दिया जाकर अगली तारीख पेशी दिनांक 24.01.2018 नियत की गई है। साथ ही प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य/सुनवाई पर ही चल रहा है। इसलिए अपीलांट का यह कथन कतई उचित नहीं है कि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और पीछे से ऑर्डरशीट अंकित करदी गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा उप तहसीलदार सैंथल ने दिनाक 10.01.2018 को "गैर सायल उपस्थित। गैर सायल द्वारा अतिक्रमण हटा लेने के लिए समय चाहा गया।" बाबत ऑर्डरशीट अंकित की गई। जिसका अपीलांट ने यह कहते हुए अपील की गई है कि उक्त अतिक्रमण हटा लेने बाबत अपीलांट ने कोई समय नहीं चाहा गया बल्कि जवाब के लिए समय चाहा गया है। वर्तमान में प्रकरण सुनवाई हेतु विचाराधीन है, जिस पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहॉ तक साक्ष्य/सुनवाई का प्रश्न है, तो अपीलांट अभी भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। उप तहसीलदार सैंथल को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः20 अगर्स्त, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official